



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1514

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 40615 वर्ष 2025

मोहम्मद हारून

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: शारिब सलामन अहमद अंसारी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए., पुष्पेंद्र सिंह निरंजन, -सौरभ श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.एस.ए. अंसारी, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ श्रीवास्तव और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान ए.जी.ए. श्री अरिमर्दन यादव की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका आरोपी-आवेदक मोहम्मद हारून की ओर से दायर की गई है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 516/2025 में धारा 115 (2), 324 (6), 309 (4), 191 (2), 351 (2), 308 (2), 310 (2) बीएनएस और आपराधिक विधि पुनरीक्षण अधिनियम की धारा 7 के तहत मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी-आवेदक निर्दोष है। उसे इसी मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 15.07.2025 से जेल में बंद है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी, दिलशाद, जावेद @ जावेद शाह, कादिर @ कादिर खान, जुबैर और अयान @ अनु को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध मामले में जमानत दी जा चुकी है। जमानत आवेदन संख्याएँ 39058/2025, 38240/2025, 42204/2025, 42170/2025 और 42880 दिनांक 21.11.2025, 02.12.2025, 08.12.2025 और 11.12.2025 के आदेशों के अनुसार। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जमानत पर रिहाई की स्थिति में उसके न्याय प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि समान परिस्थितियों वाले उपरोक्त सह-आरोपी को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपरोक्त मामले में आरोपी-आवेदक **मोहम्मद हारून** को, व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतों के साथ, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि का मुचलका भरने पर, जमानत पर रिहा किया जाए। निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक मुकदमे की सुनवाई के लिए निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

6 जनवरी, 2026

दीपक /

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)



अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।